

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम—सिरोही(राज.)

प्रार्थी
खीमाराम पुत्र श्री लीलाराम बनाम
जाति मेघवाल नि. मण्डवारीया
तहसील व जिला सिरोही

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 52/2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
24-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री गोविंद राणा व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1366 दिनांक 23-12-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा मण्डवारीया के खाता सं. 70 व 71 के खसरा संख्या 635, 636, 637, 638, 216 व 217 में प्रार्थी का नाम हिम्तराम पुत्र लीला दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम खीमाराम ही है। खीमाराम व हिम्तराम एक ही व्यक्ति है।</p> <p>अतः मौजा मण्डवारीया के खाता सं. 70 व 71 के खसरा संख्या 635, 636, 637, 638, 216 व 217 में प्रार्थी का नाम हिम्तराम पुत्र लीला के स्थान सही नाम खीमाराम पुत्र लीलाराम किया जाना उचित होना बताया है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा मण्डवारीया के खाता सं. 70 व 71 के खसरा संख्या 635, 636, 637, 638, 216 व 217 में प्रार्थी का गलत नाम हिम्तराम पुत्र लीला के स्थान सही नाम खीमाराम पुत्र लीलाराम संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)